

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 133/2024 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

अनील कुमार पुत्र दारासिंह जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. दारासिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुमार पुत्र दारासिंह जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. अरविन्द पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रा पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. बंटी पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. रमन पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. रामेश्वरी पुत्री गंगाराम जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. विनोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. राजबाला पुत्र दारासिंह पत्नी सतीश कुमार जाति जाट साकिन रोडवेज डिपो के पिछे सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
10. अनुसुईया देवी पुत्री दारासिंह पत्नी सुशील कुमार पुनिया जाति जाट साकिन रोडवेज डिपो के पिछे सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
11. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री प्रभुदयाल सहारण प्रतिवादी सं. 1 ता 10

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 11

निर्णय दिनांक- 30.04.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी अनील कुमार व प्रतिवादी स0 1 दारासिंह व 2 सुनील कुमार को ब हिस्सा बराबर चक 3-4 एन.डब्ल्यू.एम. के प0 न0 16/27 (36) के किला न0 23 की 0.253 है0 24 की 0.253 है0 25/1 की 0.223 है0 25/2 की 0.025 है0 खाला प0 न0 16/28 (39) के किला न0 1 ता 4 की 1.012 है0 5/1 की 0.228 है0 5/2 की 0.025 है0 खाला 6/1 की 0.228 है0 6/2 की 0.025 है0 खाला 7 ता 10 की 1.012 है0 11 की 0.072 है0 पूर्वी पासा 12 ता 14 की 0.759 है0 15/1 की 0.228 है0 15/2 की 0.025 है0 खाला 16/1 की 0.029 है0 उत्तरी पासा 17 की 0.031 है0 उत्तरी पासा 18 की 0.031 है0 उत्तरी पासा 19 की 0.031 है0 उत्तरी पासा 20 की 0.009 है0 उत्तरी पूर्वी पासा कुल 4.499 है0 भूमि के,



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

2. प्रतिवादी स० 3 अरविन्द को चक 3-4 एन.डब्ल्यू.एम. के प० न० 16/20 (40) के किला न० 25/1 की 0.085 है० प० न० 16/21 (54) के किला न० 5/1 की 0.084 है० 6/1 की 0.084 है० प० न० 16/28 (39) के किला न० 16/1 की 0.199 है० दक्षिणी पासा 16/2 की 0.025 है० खाला 17 की 0.222 है० दक्षिणी पासा 18 की 0.222 है० दक्षिणी पासा 19 की 0.222 है० दक्षिणी पासा 20 की 0.063 है० दक्षिणी पूर्वी पासा 21 ता 24 की 1.012 है० 25/1 की 0.228 है० 25/2 की 0.025 है० खाला प० न० 16/29 (55) के किला न० 1 ता 4 की 1.012 है० 5/1 की 0.228 है० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला 8 ता 10 की 0.759 है० कुल 4.495 है० भूमि का,
3. प्रतिवादी स० 4 इन्द्रा 5 बन्टी 6 रमन 7 रामेश्वरी को चक 3-4 एन.डब्ल्यू.एम. के प० न० 16/20 (40) के किला न० 6, 7 की 0.506 है० 11/1 की 0.228 है० 12 ता 18 की 1.771 है० 19/1 की 0.165 है० प० न० 16/28 (39) के किला न० 11 की 0.181 है० पश्चिमी पासा 20 की 0.181 है० पश्चिमी पासा कुल 3.032 है० में से प्रतिवादी स० 4 ता 6 को 1.479 है० भूमि के, प्रतिवादी स० 7 को 1.553 है० भूमि के,
4. प्रतिवादी 8 विनोद कुमार को चक 3-4 एन.डब्ल्यू.एम. के प. न. 16/27 (36) के किला न० 25/1 की 0.005 है० उत्तरी पूर्वी कोणा खाला के चिपती भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/4/2024 को जारी की गई।

02/10
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक अधीक्षक
उपखण्ड अधिकारी
राजसमेर